



## प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 19.02.2026

### #OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 19.02.2026 को 04 अभियोगों में सजा करायी गयी है।

### 1. थाना सैफई

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा० न्याया० इटावा द्वारा अभियुक्तगणों को 07-07 वर्ष का कारावास व 31,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा० न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सैफई पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा० न्यायालय एडीजे-3/स्पे० जज डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का कारावास व 31000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

#### संक्षिप्त विवरण:-

थाना सैफई क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगणों द्वारा वादी के साथ लूटपाट करने का प्रयास करना व जान से मारने की नियत से चाकू व तमंचे से हमला करना एवं अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व 4 कारतूस जिन्दा बरामद होने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 18.08.2012 को मु०अ०सं०-123/2012 धारा 352/393/307/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ०नि० श्री लालमणि सिंह के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का० हरिओम पाण्डेय व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा० न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 19.02.2026 को अन्तर्गत धारा 352/393/307/34 भादवि मा० न्यायालय एडीजे-3/स्पे० जज डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का कारावास व 31,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

#### सजायाफ्ता अपराधी-

1. विनेश यादव पुत्र रामलखन निवासी अलाई थाना करहल जनपद मैनपुरी।
2. सतेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र रामनरेश यादव निवासी सती मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद इटावा।